भाग-II

आर्थिक क्षेत्र

(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

अध्याय-III

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

प्रस्तावना

3.1 यह अध्याय लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्तियाँ, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई, राज्य विधानसभा में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने की स्थिति तथा उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति को दर्शाता है।

विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

3.2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभाग और तेरह संस्थाएं आती हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव करते है, जिनकी सहायता सचिव/अपर सचिव/आयुक्त/निदेशक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियों का विवरण **चार्ट 3.1** में दिया गया हैं।

चार्ट 3.1: 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार का बजट अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

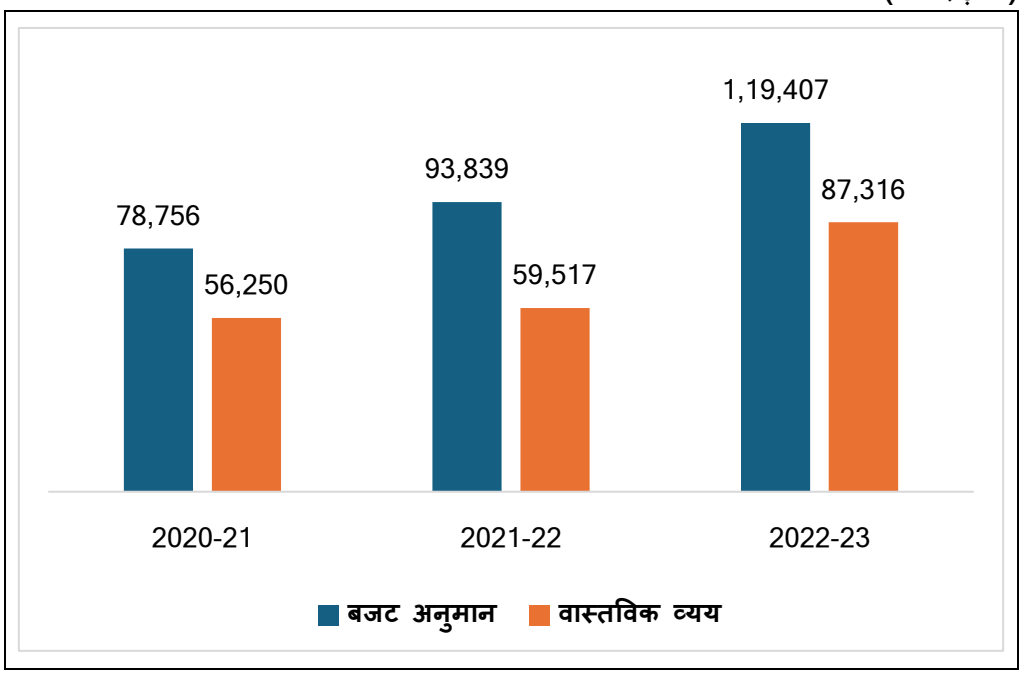

स्रोत: कोषवाणी वेब- उ.प्र. राज्य में वित्त गतिविधियों के लिए प्रवेश द्वार

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अतिरिक्त पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2020-21	2021-22	2022-23
ऊर्जा विभाग	22,663.87	33,697.32	42,021.55
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,002.30	8,746.20	16,087.64
लोक निर्माण विभाग	22,632.57	12,934.83	20,975.75
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	1,243.86	1,512.19	1,853.21
नागरिक उड्डयन विभाग	1,816.88	181.00	2,089.93

स्रोत: कोषवाणी वेब- उत्तर प्रदेश में वित्त गतिविधियों के लिए प्रवेश द्वार

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

3.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने राजस्व विभाग के परिचयात्मक अध्याय के अन्तर्गत आने वाले विभागों को को छोड़कर 14 विभागों के अन्तर्गत विभागों और स्वायत निकायों से सम्बन्धित कुल 658 लेखापरीक्षणीय इकाइयों में से 133 की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

3.4 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए चार स्तरों पर अवसर प्रदान करती है, अर्थात्

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन**: फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किये जाते हैं जिनका उत्तर लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा संपन्न होने के एक माह के अंदर जारी किये जाते है, जिसका उत्तर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर देना होता है।
- **ड्राफ्ट प्रस्तर:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अंदर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/सरकार के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्ष/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की

जाती है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाइयाँ/विभाग समय पर और संतोषजनक उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं जैसा कि नीचे इंगित गया है:

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)

3.4.1 मार्च 2023 तक 14 विभागों से सम्बन्धित 648 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2023 तक विश्वसनीय उत्तर की प्रत्याशा में 2,960 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 14,152 प्रस्तर निपटान हेतु लम्बित थे। इनमें से, डीडीओ ने 400 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 2,326 प्रस्तर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक उत्तर प्रस्तुत किए, जबकि 2,560 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 11,826 प्रस्तर के सम्बन्ध में, डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2023 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की स्थिति

क्र. सं.	अवधि	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2022-23	116 (4)	1073 (8)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	161 (5)	1520 (11)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	282 (10)	2025 (14)
4	5 वर्षों से अधिक	2401 (81)	9534 (67)
योग		**2960**	**14152**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.4.2 वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2022-23 के लिए, पर्यटन विभाग के प्रशासनिक सचिव को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अक्टूबर 2024) निर्गत किया गया है। उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तर भी लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव को अग्रेषित किया गया था और इसके उत्तर को ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

अप्राप्त उत्तर

3.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस पर कार्यपालिका से उपयुक्त और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए थे (जून 1987) कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा

प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जाने के दो से तीन माह के अन्दर प्रेषित करें। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2024 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (आर्थिक क्षेत्र/गैर-पीएसयू)	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुए[1]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	-
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	1
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	2
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	1
2017-18	21 अगस्त 2020	-	10	-	9
2018-19	19 अगस्त 2021	-	9	-	6
2019-20	17 दिसम्बर 2021	1[2]	-	-	-
	21 सितम्बर 2022	-	3	-	2
2020-21	22 फरवरी 2023	-	10	-	8
योग		**11**	**55**	**7**	**332**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

3.5.2 वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 55 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रतिवेदित किए गए। इनमें से लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए 23 प्रस्तर (पीए/सीए) लिए गए थे। 30 जून 2024 को पीएसी चर्चा की स्थिति **तालिका 3.4** में वर्णित है।

तालिका 3.4: पीएसी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	66 (11 पीए [3] + 55 सीए)
लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिए पीएसी द्वारा लिया गया	23 (7 पीए + 16 सीए)
पीएसी द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य

[1] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; लोक निर्माण विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से संबंधित।

[2] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[3] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
प्राप्त हुआ एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

3.6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गये राज्य सरकार की संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासकीय आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं और सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल में रखे जाने हैं।

संस्थाओं के लेखाओं के प्रेक्षण एवं अन्तिमीकरण में बकाया

3.6.1 31 मार्च 2023 को, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। इन 11 संस्थाओं में से 01 संस्था यथा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखाओं का बकाया शून्य[4] है। शेष 10 संस्थाओं के सितम्बर 2023 तक 90 लेखे बकाया हैं। इन 10 संस्थाओं में से, 03 संस्थाओं के लेखे 18 वर्षों से बकाया थे, 01 संस्था के लेखे 16 वर्षों से बकाया थे और 5 संस्थाओं के लेखे 02 से 06 वर्षों से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं का बकाया

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2020-21 से 2022-23	03
2	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	2022-23	01
3	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	0
4	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2022-23	05
5	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
6	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2022-23	02
7	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
8	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
9	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
10	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18

[4] उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2018-19 तक के सौंपे गये अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के अनुरूप 2018-19 तक के अपने लेखाओं को प्रेषित किया। इसलिए, उनके लेखाओं की बकाया स्थिति शून्य है।

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
11	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण[5]	2005-06 से 2020-21	16
योग			90

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को रखे जाने की स्थिति

3.6.2 30 सितम्बर 2023 तक सात संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं का विवरण, जिन्हें राज्य विधानमण्डल में रखा जाना बाकी है को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 3.6: राज्य विधानमण्डल में अभी तक न रखे जाने वाले पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	संस्थाओं का नाम	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को राज्य विधानमण्डल में रखा गया	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखी गई एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं की स्थिति	
			एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार को प्रतिवेदन निर्गत करने की तिथि
1	यूपीईआरसी	**शून्य**	2003-04	19 अक्टूबर 2006
			2004-05	5 अक्टूबर 2007
			2005-06	5 अक्टूबर 2007
			2006-07	3 अक्टूबर 2008
			2007-08	17 अगस्त 2009
			2008-09	15 अगस्त 2010
			2009-10	26 मई 2011
			2010-11	8 जून 2012
			2011-12	24 सितम्बर 2014
			2012-13	20 फरवरी 2015
			2013-14	22 जून 2015
			2014-15	28 दिसम्बर 2015
			2015-16	18 मई 2017
			2016-17	8 मार्च 2019
			2017-18	15 मई 2020
			2018-19	18 दिसंबर 2020
			2019-20	20 अप्रैल 2023
2	कैम्पा	शून्य	2010-11	2 मई 2019
			2011-12	1 अक्टूबर 2019
			2012-13	1 अक्टूबर 2019
			2013-14	6 अप्रैल 2022
			2014-15	18 मई 2023

[5] लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 04 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है।

क्र. सं.	संस्थाओं का नाम	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को राज्य विधानमण्डल में रखा गया	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखी गई एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं की स्थिति	
			एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार को प्रतिवेदन निर्गत करने की तिथि
			2015-16	20 जून 2023
			2016-17	4 जुलाई 2023
			2017-18	21 जुलाई 2023
			2018-19	4 अगस्त 2023
			2019-20	31 अगस्त 2023
3	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2007-08	3 जुलाई 2019
			2008-09	10 जून 2020
			2009-10	18 दिसम्बर 2020
			2010-11	10 अगस्त 2021
			2011-12	29 मार्च 2022
			2012-13	12 अप्रैल 2022
			2013-14	27 अप्रैल 2022
			2014-15	26 मई 2022
			2015-16	20 जून 2022
			2016-17	10 अगस्त 2022
4	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	2014-15	9 सितम्बर 2022
			2015-16	9 सितम्बर 2022
			2016-17	12 दिसम्बर 2022
			2017-18	27 जनवरी 2023
			2018-19	27 जनवरी 2023
5	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	24 जनवरी 2023
			2006-07	24 जनवरी 2023
			2007-08	17 अप्रैल 2023
			2008-09	10 मई 2023
			2009-10	1 जून 2023
			2010-11	16 जून 2023
			2011-12	14 अगस्त 2023
			2012-13	14 अगस्त 2023
			2013-14	14 अगस्त 2023
			2014-15	12 सितम्बर 2023
6	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	3 मार्च 2023
			2006-07	3 मार्च 2023
			2007-08	21 अप्रैल 2023
			2008-09	28 जून 2023
			2009-10	1 अगस्त 2023
			2010-11	28 अगस्त 2023
7	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	4 जुलाई 2023
			2006-07	4 जुलाई 2023

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां

3.7 लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं में 21 प्रकरणों में ₹ 27.68 करोड़ की वसूलियां इंगित की गई थी। इसके विरुद्ध, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान 13 प्रकरणों में ₹ 21.01 करोड़ की वसूलियां स्वीकार की गई, किन्तु मात्र एक प्रकरण में ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई, जैसा कि **तालिका 3.7** में वर्णित है।

तालिका 3.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकृत/संपन्न की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	वसूलियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूलियां		वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां		वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान की गई वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
लोक निर्माण विभाग	ठेकेदारों को वस्तु एवं सेवा कर का अधिक भुगतान	7[6]	8.25	5	6.32	1	0.75
	दो ठेकेदारों को श्रम उपकर का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान	2	3.21	2	3.21	-	-
	मूल्य वृद्धि में दो ठेकेदारों को अधिक भुगतान	2	1.25	0	0	-	-
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न होना	1	1.37	0	0	-	-
	अस्थायी अग्रिम की वसूली न होना	1	0.98	0	0	-	-
	अनियमित अग्रिम अवमुक्त करने के कारण सरकार को ब्याज की हानि	1	0.17	1	0.17	-	-
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	सेंटेज प्रभार की वसूली न होना	2	2.29	1	2.23	-	-
	आईओसी मथुरा से लीज प्रीमियम और लीज रेंट की वसूली न होना	2	9.06	2	9.06	-	-
	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा धनराशि जमा न करना/कम जमा करना	2	0.02	2	0.02	-	-
	निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की कम वसूली	1	1.08	0	0	-	-
योग		**21**	**27.68**	**13**	**21.01**	**01**	**0.75**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

[6] सात प्रकरणों में से ₹ 1.06 करोड़ का एक प्रकरण वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित था, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई।